

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली
पत्र संख्या-6086/14-104 रायबरेली, दिनांक, मार्च, 28, 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- गेल इण्डिया लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उराई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ का पत्रांक-8 बी/यूपी/09/77/2017/909 दिनांक 16.03.2018 तथा आपका पत्रांक-2680/11-सी-एफ०पी०/यूपी/अदर्स/23971/2017 दिनांक 19.03.2018।

महोदय,

संदर्भित पत्रों द्वारा उपरोक्त विषयक के सम्बंध में रायबरेली वन प्रभाग से सम्बंधित संशोधित एफ. आर.ए. 2006 तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(तुलसीदास)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक-6086/ तददिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्रांक-5436/14-10-4 दिनांक 23.03.2018 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित है।

(तुलसीदास)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रायबरेली

Received
A. Singh
Hail (D) Ltd.
28/3/18